



# INFINITY

Management & Engineering College

University Road, Pathariya Jat, Sagar, M.P.

Approved By: AICTE, New Delhi | Affiliated to : RGPV, Bhopal (M.P.)



## योजनाओं के प्रकार (मध्य प्रदेश)

- ✓ गांव की बेटी योजना।
- ✓ प्रतिभा किरण योजना।
- ✓ मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना।
- ✓ मुख्यमंत्री जनकायन (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना/ संबल योजना।
- ✓ आवास भत्ता सहायता योजना (एससी / एसटी)।
- ✓ पोस्ट मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति ओबीसी/ एससी/ एसटी।

## भारत सरकार की योजनाओं के प्रकार भारत सरकार (केंद्रीय सरकार)

- ✓ अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक्स छात्रवृत्ति योजना।
- ✓ अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप योजना।
- ✓ पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना।
- ✓ विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना।

📍 यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जाट, सागर (म.प्र)

☎ 9926659370, 7000491505, 9993051431

www.infinitycollege.in © info@infinitycollege.in, imecsagar@gmail.com

# गाँव की बेटी योजना के लिए पात्रता

- ❑ **मूल निवासी:** छात्रा को मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का मूल निवासी होना चाहिए।
- ❑ **शैक्षणिक योग्यता:** कक्षा 12वीं में कम से कम **60% या उससे अधिक अंक** प्राप्त किए हों।
- ❑ **शैक्षिक संस्थान:** 12वीं की पढ़ाई किसी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से की हो (गांव की बेटी प्रमाण पत्र आवश्यक)।
- ❑ **अध्ययन:** छात्रा को उच्च शिक्षा (स्नातक, तकनीकी शिक्षा, या चिकित्सा) के प्रथम वर्ष में प्रवेशित होना चाहिए।
- ❑ **आय सीमा:** परिवार की वार्षिक आय से जुड़ी सीमा (आमतौर पर 2 लाख से कम, हालांकि यह हर साल अपडेट हो सकती है)।

# प्रतिभा किरण योजना लिए पात्रता

## प्रतिभा किरण योजना के लिए पात्रता (Eligibility):

- **मूल निवासी:** छात्रा को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- **निवास स्थान:** केवल शहरी क्षेत्र (Urban Area) की छात्राएं पात्र हैं।
- **शैक्षणिक योग्यता:** 12वीं कक्षा में कम से कम **60%** या उससे अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए।
- **पारिवारिक स्थिति:** परिवार बीपीएल (BPL - गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में होना चाहिए।
- **पाठ्यक्रम:** 12वीं के बाद स्नातक (Graduation) प्रथम वर्ष में किसी शासकीय या अशासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में नियमित अध्ययनरत हो।

# मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए पात्रता

## पात्रता (Eligibility) विवरण:

- **मूल निवासी:** विद्यार्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- **शैक्षणिक योग्यता:**
  - **MP Board:** 12वीं कक्षा में 70% या उससे अधिक अंक।
  - **CBSE/ICSE Board:** 12वीं कक्षा में 85% या उससे अधिक अंक।
- **आय सीमा:** अभिभावक की वार्षिक आय ₹6,00,000 (छह लाख) से कम होनी चाहिए।
- **प्रवेश परीक्षा:** यदि जेईई मेन्स में 1,50,000 के अंदर रैंक, या नीट (NEET) के माध्यम से सरकारी/निजी मेडिकल/डेंटल कॉलेज में प्रवेश लिया हो।
- **पाठ्यक्रम:** स्नातक (Undergraduate) या एकीकृत स्नातकोत्तर (Integrated PG) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र।

# मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के लिए पात्रता

## संबल योजना 2.0 पात्रता मानदंड:

- **मूल निवासी:** आवेदक का मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- **कार्यक्षेत्र:** आवेदक असंगठित क्षेत्र का श्रमिक (Unorganized Worker) होना चाहिए (जैसे- खेतीहर मजदूर, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार आदि)।
- **आयु सीमा:** श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- **गरीबी रेखा:** आवेदक गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाला होना चाहिए।
- **शर्त:** परिवार में किसी के पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए (यह अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के समान नियम है)।

## आवास भत्ता सहायता योजना

### पात्रता (Eligibility):

- **मूल निवासी:** छात्र को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- **वर्ग:** छात्र अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी का होना चाहिए।
- **शिक्षा:** छात्र को सरकारी या मान्यता प्राप्त कॉलेज/संस्थान में उच्च शिक्षा (जैसे- स्नातक, स्नातकोत्तर, आदि) में नियमित प्रवेश प्राप्त होना चाहिए।
- **आय सीमा:** आमतौर पर, परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
- **आवास:** छात्र अपने घर से दूर किराए के मकान या हॉस्टल/पीजी में रह रहा हो।
- **अनुमोदन:** शिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा आवेदन का अनुमोदन आवश्यक है।

## Post-Matric) SC, ST, OBC योजना के लिए पात्रता

मुख्य पात्रता (Eligibility):

- वर्ग: आवेदक को अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से होना चाहिए।
- शैक्षिक योग्यता: छात्र ने दसवीं (Matric) कक्षा पास कर ली हो और वर्तमान में मान्यता प्राप्त संस्थान में 11वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए (कुछ राज्यों में यह ₹2 लाख हो सकती है)।
- मूल निवासी: आवेदक संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

# अल्पसंख्यक (Minority) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता

मुख्य पात्रता शर्तें:

- समुदाय (Community): छात्र को अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, या पारसी।
- शैक्षणिक योग्यता (Academic Qualification): पिछले शैक्षणिक वर्ष (पिछली कक्षा) की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों।
- आय सीमा (Income Limit): माता-पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹2.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अध्ययन स्तर: सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय में कक्षा 11वीं, 12वीं, तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आईटीआई (ITI), या स्नातक/स्नातकोत्तर (Undergraduate/Postgraduate) में प्रवेश लिया हो

## पोस्ट-मैट्रिक टॉप क्लास स्कॉलरशिप योजना

- शैक्षणिक योग्यता: मान्यता प्राप्त बोर्ड (CBSE, ICSE, राज्य बोर्ड) से कक्षा 12वीं में संबंधित स्ट्रीम (साइंस/आर्ट्स/कॉमर्स) में 80वें परसेंटाइल (80th Percentile) से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्र पात्र हैं।
- पारिवारिक आय: माता-पिता/अभिभावक की कुल वार्षिक आय ₹4.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
- कोर्स की आवश्यकता: उच्च शिक्षा (स्नातक या स्नातकोत्तर) के लिए नियमित (Regular) कोर्स में दाखिला लिया होना चाहिए। पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा (Correspondence/Distance Education) वाले छात्र पात्र नहीं हैं।
- अन्य नियम: किसी अन्य स्कॉलरशिप का लाभ न ले रहे हों।
- आधार लिंकिंग: छात्र का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना अनिवार्य है।

# केंद्रीय क्षेत्रक (बीड़ी कार्ड) योजनाएं

बीड़ी कार्ड छात्रवृत्ति (2025-26) के लिए पात्रता और जानकारी:

- मूल निवासी: आवेदक का भारत का निवासी होना अनिवार्य है।
- अभिभावक का पेशा: माता-पिता/अभिभावक बीड़ी श्रमिक, सिने वर्कर, या गैर-कोयला खदान श्रमिक होने चाहिए और उनके पास श्रमिक पहचान पत्र (Bidi Card) होना अनिवार्य है।
- आय सीमा: माता-पिता की कुल मासिक आय (सभी स्रोतों से) ₹10,000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए (या वार्षिक आय ₹1,20,000 से कम)।
- शैक्षणिक योग्यता:
  - छात्र को किसी मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान में कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा (पोस्ट मैट्रिक, डिग्री, टेक्निकल कोर्स) में नियमित छात्र के रूप में पढ़ रहा होना चाहिए।
  - पिछली कक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- छात्रवृत्ति राशि: कक्षा/पाठ्यक्रम के आधार पर प्रति छात्र ₹1,000 से ₹25,000 तक की राशि सीधे बैंक खाते (DBT) में दी जाती है।